For immediate release

एफएसएसएआई के सीईओ ने राजस्थान में नियमित सैंपलिंग, मिलावटी खाद्य पदार्थों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया

सीईओ एफएसएसएआई ने राज्य के अधिकारियों से बीकानेर में खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला को मजबूत करने के लिए कहा

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2025: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने बुधवार को जयपुर, राजस्थान में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, "घी, दूध, पनीर और मसालों जैसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने नियमित रूप से एकत्र किए जाने चाहिए, और संबंधित मामलों का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए।"

सीईओ, एफएसएसएआई ने बीकानेर में खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और एफएसएसएआई के समर्थन का आश्वासन दिया।

इसके अतिरिक्त, सीईओ ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और खाद्य मिलावट से निपटने में राजस्थान सरकार के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया, जबकि लंबित खाद्य मिलावट मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया।

समीक्षा के दौरान, श्री जी कमला वर्धन राव, सीईओ, एफएसएसएआई ने मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के तहत किए जा रहे प्रयासों का आकलन किया, जिसमें लंबित कानूनी मामले, जनशक्ति तैनाती और अन्य महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे। बैठक में एफएसएस अधिनियम 2006 द्वारा अनिवार्य रूप से मामले की पहली सुनवाई के 90 दिनों के भीतर न्यायनिर्णयन को समाप्त करने के महत्व पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जिलों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों ने भाग लिया जो खाद्य मिलावट से संबंधित मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार और न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। सीईओ ने राज्य में रिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) पदों का जायजा लिया और सलाह दी कि इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए।

राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, श्री एच. गुइटे ने खाद्य सुरक्षा संचालन और आगामी खाद्य सुरक्षा अभियानों, विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया और प्रगति अपडेट साझा किए। नियामक अनुपालन प्रभाग के कार्यकारी निदेशक, श्री सत्येन कुमार पांडा और निदेशक, श्री राकेश कुमार ने भी बैठक को संबोधित किया और एफएसएस अधिनियम 2006 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन साझा किया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन विभिन्न जिलों से भाग लिया, साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी।

बैठक का समापन केंद्रीय और राज्य दोनों अधिकारियों द्वारा राज्य भर में सहयोग को मजबूत करने, नियामक प्रवर्तन और खाद्य सुरक्षा अनुपालन को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त संकल्प के साथ हुआ।